13

लोक सुनवाई का विवरण

विषयः– ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् मेसर्स अछोली फर्शी पत्थर माईन (प्रो.–श्री अर्चित सोनी), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (छ.ग.) स्थित खसरा कमांक–1886, 1888/2, 1895/1, 1889/2, 1890, 1896 एवं 1889/1, कुल क्षेत्रफल–3 हेक्टेयर में प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता–20,115.30 घनमीटर (48,276.72 टन) प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 30.04.2025 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के तहत् मेसर्स अछोली फर्शी पत्थर माईन (प्रो.–श्री अर्चित सोनी), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (छ.ग.) स्थित खसरा कमांक–1886, 1888/2, 1895/1, 1889/2, 1890, 1896 एवं 1889/1, कुल क्षेत्रफल–3 हेक्टेयर में प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता–20,115.30 घनमीटर (48,276.72 टन) प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् लोक सुनवाई कराने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया है। दैनिक समाचार पत्र पत्रिका तथा अमृत इंडिया में दिनांक 29.03.2025 को लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 30.04.2025 को समय अपरान्ह 12:00 बजे से स्थान-- ग्राम पंचायत भवन अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (छ.ग.) में लोक सुनवाई नियत की गई थी, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की गई व तामीली भी ली गई।

प्रस्तावित परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् लोक सुनवाई दिनांक 30.04.2025 को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान मुख्य रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर तथा गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं लगभग 125 जन सामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

1. लोक सुनवाई अपरान्ह 12:35 बजे से प्रारंभ हुई।
2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये हैं, उनकी सूची संलग्नक–01 अनुसार है, (पृष्ट कमांक 1 से 5 तक)।
3. मुख्य रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की लोक सुनवाई के प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुये अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई की आगे की कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया।

4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत करें।

5. परियोजना प्रस्तावक श्री अर्चित सोनी द्वारा संबोधित किया गया कि आज दिनांक 30.04.2025 को ग्राम पंचायत अछोली में मेरे द्वारा आवेदित खनिज पंचवर्षीय उद्योग खदान क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत आयोजित लोक सुनवाई कार्यक्रम में माननीय अपर कलेक्टर जिला महासमुंद, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, समस्त आगंतुक एवं उपस्थित समस्त ग्राम वासियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं अध्यक्ष माननीय अपर कलेक्टर की अनुमति से मेरे द्वारा आवेदित खनिज फर्शी उद्योग खदान के संबंध में जानकारी देने के लिए नैबेट प्रमाणित अल्ट्राटेक एनवायरमेंटल कंसलटेंसी एंड लेबोरेटरी, ठाणे के अपने पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के सदस्य को आमंत्रित करता हूँ।

6. परियोजना प्रस्तावकों की ओर से श्री बुद्धदेव पाण्डेय, पर्यावरणीय सलाहकार, अल्ट्राटेक एनवायरमेंटल कंसलटेंसी एंड लेबोरेटरी, ठाणे के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने के अनुक्रम में संबोधित किया गया कि माननीय अपर कलेक्टर, जिला महासमुंद, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालयं रायपुर, समस्त गणमान्य आगंतुक एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासी। अछोली क्लस्टर क्षेत्र में स्थित परियोजना प्रस्तावक श्री अर्चित सोनी की गौण खनिज फर्शी पत्थर उत्खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत आज दिनांक 30.04.2025 को अर्चित सोनी के प्रकरण हेतु आयोजित आज के इस लोकसुनवाई कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस जनसुनवाई की जानकारी को दो समाचार पत्रों क्रमशः अमृत इंडिया नई दिल्ली एवं पत्रिका रायपुर में दिनांक 29.03.2025 को प्रकाशित किया गया है। इस जन सुनवाई के संपन्न होने की नियत तिथि एवं स्थल की सूचना को सार्वजनिक किया गया। आदेशानुसार कोटवार ग्राम पंचायत अछोली द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थानों पर मुनादी करते हुए जनसुनवाई का दिन, समय, स्थान को मुनादी करते हुए जन सामान्य को सूचना दी गई। आज के इस लोक सुनवाई हेतु जनसूचना के संबंध में कार्यालय कलेक्टर जिला महासमुंद द्वारा दिनांक 27.03.2025 को पत्र जारी किया गया। अर्चित सोनी की प्रस्तावित परियोजना का आधार फर्शी पत्थर खदान का उत्खनिपट्टा के लिए नियमानुसार समस्त शासकीय अनुमतियॉ प्राप्त की गई है एवं की जा रही है। निजी भूमि पर पत्थर उत्खनन लीज के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अनुसार समस्त सार्वजनिक स्थलों से नियमानुसार दूरी रखते हुए पत्थर उत्खनन हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ द्वारा संबंधित विभागों जैसे– ग्राम पंचायत, राजस्व विभाग, खनिज विभाग, वन विभाग इत्यादि से कानून सम्मत नियमानुसार प्रक्रिया के तहत् अनुमति जांच प्रतिवेदन मंगाया गया है विभिन्न विभागों

15

की प्रतिवेदन को जांच लेने के पश्चात् कार्यालय कलेक्टर जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ द्वारा 30 वर्ष के उत्खनिपट्टा की अवधि के लिए आशय पत्र जारी किया गया है। अर्चित सोनी की आवेदित खदान क्षेत्र से संवेदनशील संरचनाओं की दूरी मानकों से अधिक है। वर्तमान उत्खनन योजना के अनुसार खदान में कुल जियोलॉजिकल रिजर्व 10,80,000 टन, माईनेबल रिजर्व 5,95,188 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 5,65,428.60 टन है। अर्चित सोनी की आवेदित खदान के लिए आवश्यकताओं में कुल जल की आवश्यकता 08 किलोलीटर की होगी। खदान में कुल जनशक्ति की आवश्यकता 16 व्यक्तियों की होगी, खदान में कुल मशीनों एवं उपकरणों की संख्या 05 होगी। जलवायु की स्थिति अध्ययन काल अक्टूबर 23 से जनवरी 2024 तक का है। औसत अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 7.38 से 28.40 डिग्री सेल्सियस, हवा की औसत गति 2.23 मीटर प्रति सेकंड, प्रभावी पवन दिशा उत्तर–पूर्व रही। पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन में वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा के विश्लेषण के परिणाम निर्धारित मानकों के भीतर पाए गए। वायु, जल, मृदा, स्वास्थ्य वनस्पति एवं वन्य जीव प्रबंधन में लोडिंग और हॉल रोड पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। ट्रकों को तारपोलीन द्वारा ढंका जाएगा, ओवरलोडिंग को रोका जाएगा, समस्त परिवहन साधनों के लिए वैध पीयूसी का होना सुनिश्चित किया जाएगा। एप्रोच सड़क, कच्ची सड़कों एवं खनन क्षेत्र के चारों ओर पौधे लगाकर हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा। वाहनों की आवाजाही और लोडिंग आदि के कारण धूल के उत्पादन प्रभाव और प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। डीजल इंजनों का नियमित रखरखाव किया जाएगा। सतही जल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी क्योंकि सतही पानी को डाइवर्ट करने के लिए गारलैंड ड्रेन का निर्माण किया जाएगा। खनिज में कोई विशेष तत्व नहीं होता इस प्रकार भूजल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनन कार्य के दौरान कोई भी अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं होगा। खदान कार्यालय और श्रम आश्रय से उत्पन्न घरेलू दूषित जल के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोक गढ्ढे प्रदान किए जाएंगे। खनन गतिविधि से पहले शीर्ष मिट्टी को लीज क्षेत्र में परिभाषित, परिमार्जित और संग्रहित किया जाएगा। इसका उपयोग वृक्षारोपण के उद्देश्य से किया जाएगा। वृक्षारोपण के दौरान पट्टों की सीमा को कवर किया जाएगा। जंगली एवं घरेलू पशुओं के गिरने एवं खिसकने के खतरे को कम करने के लिए खनन खदानों के चारों ओर से तार फैंसिंग की जाएगी, ऑनसाइट प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेंगी और आपात स्थिति में कर्मचारियों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। ध्वनि गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ध्वनि के स्तर को कम करने के लिए वाहनों एवं मशीनों का सही रख–रखाव किया जाएगा। मशीनों का उचित रख–रखाव, ऑयलिंग एवं ग्रीसिंग की जाएगी। समस्त कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। ध्वनि के प्रसार को कम करने के लिए कच्ची सड़कों एवं खनन क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा।

आवधिक ध्वनि परीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। विशेष रूप से उत्खनन और पत्थर काटने के दौरान शोर के लिए व्यावसायिक जोखिम वाले श्रमिकों द्वारा कान के मफ का उपयोग किया जाएगा। अर्चित सोनी के खदान की सीमा क्षेत्र में 1290 स्थानीय प्रजाति के पौधे जैसे सिरींज, जामुन, करंज, कदम, आंवला, अर्जुन आदि पौधे लगाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए फेंसिंग भी की जाएगी। आपदा प्रबंधन योजना में एक योग्य खान प्रबंधक के प्रबंधन नियंत्रण एवं निर्देशन में खनन कार्य किया जाएगा। डीजीएमएस कई स्थाई आदेश और मॉडल स्थाई आदेश और परिपत्र जारी करता है। इनका पालन आपदा के मामले में खान प्रबंधन द्वारा किया जाएगा। सभी खनन कार्यों के दौरान सभी सुरक्षा सावधानियों और धातु युक्त खान विनिमय 1961 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में माईंस नियम 1956 के अनुसार प्रारंभिक चिकित्सा जांच एवं श्रमिकों की आवधिक चिकित्सा जांच आयोजित की जाएगी। सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी सभी कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सुविधाएं एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय अपनाए जाएंगे। श्रमिकों को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष एवं सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। खदानों को उचित अग्निशमन सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। परियोजना से सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव– परियोजना से समीपस्थ कृषि भूमि को कोई नुकसान नहीं होगा परिणामतः परियोजना गतिविधि से कोई भी अन्य भूमि या मानव बस्ती प्रभावित नहीं होगी। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मानकों के साथ परिवहन और संचार सुविधा को क्षेत्र के आसपास विकसित होगा, जिसका स्थानीय निवासियों को लाभ मिलेगा। खनन पट्टा क्षेत्र के आसपास के निवासी मुख्य रूप से कृषि प्रधान हैं। रोजगार गतिविधियों के अवसर सृजित होंगे और खनन स्थाई आजीविका के स्रोत के रूप में काम करेगा, जिससे भूमिहीन और श्रमिक वर्ग के लिए अधिक आजीविका का विकल्प पैदा होगा। आसपास के निवासियों को बेहतर रोजगार अवसर के साथ रखा जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, इससे स्थानीय निवासरत लोगों का जीवन स्तर सामान्य से बेहतर होगा। अतः खनन परियोजना से सामाजिक–आर्थिक रूप से समग्र प्रभाव सकारात्मक रहने की उम्मीद है। परियोजना से लाभ– निर्माण के लिए उपयोगी आर्थिक संसाधन उत्पन्न करना, रोजगार पैदा करना, अध्ययन क्षेत्र के लोगों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार, भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार, सामाजिक अवसंरचना में सुधार, रोजगार क्षमता में वृद्धि, खनन के दौरान और बाद में अधिक आवरण में वृद्धि, अवैध खनन की रोकथाम, राजकोष में योगदान। खदान की कुल पूंजी लागत राशि रू. 34,41,000 है। खदान के लिए सीईआर की कुल राशि रू. 90,000 होगी। व्यक्तिगत पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत आवेदित खदान के चारों ओर वृक्षारोपण, एप्रोच रोड रैम्प में जल छिड़काव की व्यवस्था, सड़क के रख–रखाव खान श्रमिकों को सुविधाएं इत्यादि के लिए बजट के रूप में कुल पूंजी लागत

5,11,809 रूपए, कुल आवर्ती लागत 4,23,650 रूपए अर्थात् कुल बजट 9,35,459 रुपए की होगी। संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत रोड में वृक्षारोपण, जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी एवं पर्यावरण की निगरानी के साथ–साथ ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि के लिए भी संयुक्त रूप से पृथक बजट बनाया जाएगा। निष्कर्ष– यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्लस्टर परियोजना के क्रियाकलापों के प्रारंभ होने के साथ ही आसपास के क्षेत्र एवं स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और बुनियादी ढांचे के विकास का अवसर प्राप्त होगा। क्लस्टर परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रोजगार का सृजन होने से क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध संसाधनों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह क्लस्टर परियोजना से राज्य के राजकोष में राजस्व में भागीदारी के साथ–साथ राज्य के वित्तीय विकास में अपना अंशदान एवं योगदान भी देगा जो राज्य शासन के वित्तीय विकास में क्षेत्र के निवासियों की भागीदारी साबित करेगा। परियोजना से संबंधित अन्य समस्त जानकारियॉ पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन रिपोर्ट, कार्यकारी सारांश इत्यादि को नियमानुसार पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई है। प्रस्तुतीकरण की प्रति लोक सुनवाई के अध्यक्ष अपर कलेक्टर, जिला महासमुंद, क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर तथा सहयोगी दल को प्रस्तुतीकरण की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करा दी गई है। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि गौण खनिज फर्शी पत्थर खनिज परियोजना प्रस्तावक श्री अर्चित सोनी के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आज लोक सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों, ग्राम वासियों का मैं स्वागत करता हूँ। अपने कोई भी विचार, सुझाव, सहमति, असहमति आप यहॉ आकर बता सकते हैं।

1. श्री जयंत बहिदार ने कहा कि माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय, पर्यावरण अधिकारी महोदय मैं पर्यावरण बचाओ आंदोलन का छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता हूँ और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जहॉ पर्यावरण का नुकसान हो रहा है वहॉ जाते है लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं और शासन के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। मेरा निवास रायगढ़ जिला मुख्यालय में। आदरणीय पीठासीन अधिकारी महोदय यह जो लोक सुनवाई अभी आप कर रहे हैं यह जो हमारा ईआईए अधिसूचना 2006 के जो प्रावधान हैं उसके अनुरूप नहीं हो रहा है, कारण बताऊंगा इसलिए मैं मांग करता हूँ कि इस जनसुनवाई को यहीं स्थगित कर रोक दिया जाए। 11:00 बजे प्रारंभ होता है आप 12:00 बजे का नाम रखे हो वह भी 12:30 बजे आए हैं, एक गलती यह है। दूसरी गलती केवल कलेक्टर साहब जो जिला दंडाधिकारी होते हैं या अपर जिला दंडाधिकारी और पर्यावरण विभाग का एक विशेषज्ञ दो लोग ही संचालन

करते हैं आप अध्यक्षता करेंगे एडीएम साहब और वह सहयोग करेंगे और तीन लोग जो बैठे हैं उनको बैठने का प्रावधान नहीं है वे नीचे आ सकते है, यहाँ से अपना सहयोग कर सकते हैं। एक और बात है आप लोगों ने आज दो जनसुनवाई यहाँ करने की घोषणा की है अभी एक जो जनसुनवाई जारी है वह 12:00 से और दूसरी जनसुनवाई इसी स्थल पर आप 2:00 बजे से कह रहे हैं तो यह गलत है यह प्रावधान के विपरीत है उल्लंघन है। यह गलती आप लोगों से हो गया इसलिए इस जनसुनवाई को रद्द किया जाए, रोका जाए यहाँ पर और स्थगित करने का अधिकार है आपको।

मुख्य रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा संबोधित किया गया कि एमओईएफ का एक सर्कुलर आया है जिसमें कहा गया है कि यदि किसी कारणवश किसी लोक सुनवाई की कार्यवाही 2–2 आयोजित हो जाती है एक ही दिन में तो 2 लोक सुनवाई के बीच में सफिशिएंट गैप निर्धारित करते हुए आप आयोजन कर सकते हैं आपको वह सर्कुलर की कॉपी मिल जाएगी।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि आपने उन चीजों को नहीं देखा होगा सर, एक तो गैप आपने किया नहीं है 12:00 बजे से या 2:00 बजे से 2 घंटे में कैसी जनसुनवाई में तो 2 घंटे खुद अभी आपके इस पर विचार व्यक्त करूँगा मुझे अकेले 02 घंटा लगेगा, फिर और लोग भी हैं तो कैसे पूरा होगा, फिर उसके बाद कहाँ गैप रखेंगे आप और यह चीज है कि एक ही प्रकृति का परियोजना होना चाहिए आप अभी जो जनसुनवाई करा रहे हैं फर्शी पत्थर का करा रहे हैं एक जिसके प्रोपराइटर श्री अर्चित सोनी जी है और दूसरे में 2:00 बजे से जो दूसरी पाली में आप करा रहे हैं उसमें 04 फर्शी खदान का है फर्शी पत्थर खदान का एक चूना पत्थर खदान और एक फ्लैग स्टोन तो अलग–अलग प्रकृति का है इसलिए एक दिन में दो नहीं हो सकता यह आप सर्कुलर उठाकर देख लीजिए आप लोगों से कैसे भूल हो गई है, उस भूल को हम सुधार कर सकते हैं। इस जनसुनवाई को स्थगित करिए आज और फिर दोनों परियोजनाओं के लिए अलग–अलग प्रकृति के अलग–अलग दिन में करायेंगे सर यह गलत हुआ है और मैं आज इसमें प्रावधान है हमारा जो ईआइए अधिसूचना है कि यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को परियोजना प्रस्तावक या उनके जो कंसलटेंट सलाहकार हैं उनसे जवाब मांगने स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है। अभी इधर जो कंसलटेंट महोदय हैं उन्होंने जो अभी प्रस्तुति किया है उसमें बहुत सी त्रुटियाँ हैं, झूठी जानकारी दिया है इसलिए मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ, यह ईआईए अधिसूचना की कॉपी मैं लाया हूँ। इसी अधिसूचना 2006 में परिशिष्ट 4 के अंतर्गत पैरा 6 के उप पैरा 6.4 में स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर आवेदक से याने प्रस्तावक से परियोजना पर सूचना या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया

जाएगा, उनको उपस्थित किया जाए मैं उनसे कुछ प्रश्न करूँगा स्पष्टीकरण मांगूगा। क्योंकि उन्होंने झूठी जानकारी दी है।

मुख्य रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा संबोधित किया गया कि आप अपनी जितनी भी क्वेरी है आप सबमिट कर दीजिए उसके बाद इनकी बारी आएगी तो यह सभी का बारी–बारी से रिप्लाई करेंगे।

श्री जयंत बहिदार ने कहा जो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, मेरे बाद और आएंगे तो क्या हम रुके रहेंगे क्या 6:00 बजे तक जब तक चलता रहेगा रुके रहेंगे यह क्या ?

मुख्य रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा संबोधित किया गया कि बोलने का मौका सभी को दिया जाएगा।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि अभी तो मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ तो मेरा क्वेरी पूछने का हक है स्पष्टीकरण मांगने का आप बोलिए आदेश करिए वह देंगे मेरा स्पष्टीकरण जवाब देंगे।

मुख्य रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा संबोधित किया गया कि आप बोलते जाइए मिनट्स में हर चीज शामिल होगा उसके बाद क्रमानुसार सभी चीज का जवाब दिया जाएगा कुछ चीज मिसिंग होता है तो आप वापस से पूछ लीजिएगा दूसरों को भी मौका दीजिए।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि हमारे भारत सरकार के राजपत्र में जो दिया है संशोधित होकर के आया है उसको मैंने स्पष्ट बताया है कि हम उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जाएगा, आप दीजिए न हमको अवसर, वह आकर जवाब दें जो कंसलटेंट कंपनी है उसका भारत सरकार से लाइसेंस वैध है आज वैलिडिटी मुझे बतायेंगे उसको दिखायेंगे और जो विशेषज्ञ आए हैं आज उनका भी लाइसेंस मिलता है भारत सरकार की तरफ से तो दो चीजें हैं एक तो इनका कंसलटेंट कंपनी और जो कंसलटेंट अधिकारी जो है जो इसका पर्यावरण अध्ययन किया है उन लोगों का लाइसेंस की अवधि कब तक है मैं यह देखना चाहूँगा, पहले तो लाइसेंस बता दें सर अधिकार है कि नहीं उनको, अब फिर वही बात है सर फिर यह जो प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा वह कहॉ हुआ फिर अवसर कहॉ मिला, पूछ तो रहा हूँ जवाब तो दें इस दो का तो बताएं और भी है सर फिर ऐसा नहीं होता है सर इन्होंने जो ईआइए रिपोर्ट दिया है, ड्राफ्ट ईआइए रिपोर्ट बनाया है एकदम फर्जी है हम यह बताते हैं सर कि यह जो मांईस जिसका आप लोग अभी जनसुनवाई कर रहे हैं इन्होंने जो

आवेदन लगाया कहाँ पर भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय को टीओआर जारी करने के लिए, टीओआर में जो शर्ते हैं उनका कंप्लायंस हुआ है इसमें नहीं हुआ है याने टीओआर का पालन नहीं हुआ, जब ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट बनेगा तो उस टीओआर का जो शर्ते हैं उसका पालन करना जरूरी है, किया ही नहीं है, अभी तो जब आप सेकंड टाइम करेंगे तो उस पर वह 6 खदानों का तो आएगा ही, अभी तो हम इस खदान की बात कर रहे हैं, इन्होंने पालन नहीं किया और फिर वही बात है सर आपको तो इसको रोक देना चाहिए जब हम पहले ही बता रहे हैं कि उल्लंघन हो रहा है प्रावधानों के तहत भारत सरकार का जो वैधिक प्रावधान है कानूनी प्रावधान है उसके साथ यह लोक सुनवाई हो ही नहीं रही है, तो फिर इसको आप जारी रखने का और हम अपना प्रश्न करते जाएं क्या मतलब है आप इसको बताइए न यह जो हम बताए हैं उसका प्रश्न तो किया न जैसे हमारे मैडम सर ने कहा न कि सर्कुलर आया है तो बता दीजिए कौन सा सर्कुलर है और वह सर्कुलर का अर्थ क्या है बताइए उसमें अलग–अलग तीन प्रकृति के खदान हैं चूना पत्थर का है, फर्शी पत्थर का है, फ्लेग स्टोन का है, तो आप कैसे कर सकते हैं अलग–अलग प्रकृति के खदानों का एक साथ। अब फिर आदरणीय मैडम साहब आप ही के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में बलौदाबाजार में अभी 25 तारीख को जनसुनवाई कराया है 02 खदान है रेत का आप उसको दिन भर कराए हैं ऐसा पाली में नहीं बांटा है और क्योंकि एक ही प्रकृति का खदान है रेत खदान दोनों का इसमें तो तीन प्रकार की प्रकृति के खदान है अलग–अलग है फर्शी पत्थर है, चूना पत्थर है इन सब को एक साथ नहीं करा सकते आप, तो गलती हो गया है सर कोई बात नहीं फिर से रख दीजिए न। आप लोग सरकारी है, आप लोगों के पास साधन है फिर रख दीजिए जनसुनवाई अलग–अलग दिनों में फिर कर दीजिए।

मुख्य रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा संबोधित किया गया कि आप जिस सर्कुलर की बात कर रहे थे वह MOEF & CC द्वारा 19 अप्रैल 2010 को जारी किया गया है जिसकी वर्डिंग मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ A sufficient gap of time shall be provided between the different public hearing if these are scheduled to be held on the same date and same venue यह उनकी वर्डिंग है।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि जी सर मगर अलग–अलग खदानों का अलग प्रकृति के खदानों का नहीं है एक ही प्रकृति का है आपका।

मुख्य रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा संबोधित किया गया कि आपने एक ही दिन आयोजित करने का पूछा था पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश की वडिंग है उसका रेफरेंस लेते हुए शासन ने यह दो पब्लिक

21

हियरिंग आज आयोजित कराई है आपको मैं पूरी कॉपी दे दूंगी आप उसकी स्टडी कर लीजिएगा उसके बाद बोलिएगा।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि मैं बता रहा हूँ न आपको वही बात फिर मैं लाऊंगा जब 2:00 बजे करेंगे तो यह बात को दूसरी पाली में आप करेंगे न तो यह बात को लाऊंगा कि अलग-अलग प्रकृति का खदान है यह सर्कुलर में तो आप एक ही प्रकृति का है।

एक व्यक्ति ने कहा कि अधिकारी महोदय से अनुमति चाहूँगा सर और आम जनता नागरिक से भी अनुमति जाऊंगा सर आप कहॉ से आए हैं

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ रायगढ़ जिला से।

आप जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं तमनार और छाल में क्या हुआ है बताइए आप

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि बहुत विरोध करते हैं।

आप ही लोग उसका आंसर दीजिए मैं भी रायगढ़ में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि विरोध करते हैं, बहुत विरोध करते हैं।

क्या चीज का विरोध करते हैं अनुपम रोड लाइंस और अनुपम रोड कैरियर्स दो सुनवाई एक साथ हुआ है सर दो सुनवाई एक साथ हुआ है उसका मैं कॉपी दे सकता हूँ आप कॉपी की बात कर रहे हैं मैं आपको कॉपी प्रोवाइड करूँगा।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि देखिए अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ आप अधिकृत नहीं है।

अनुमति मांग कर ही बोल रहा हूँ।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि आपसे मैं बहस नहीं कर रहा हूँ आप सरकार से बहस करिए।

एक व्यक्ति ने कहा कि पहले बात सुनिए यहॉ लोकल जो है यहॉ लोकल के मजदूर काम करते हैं आसपास के जो मजदूर हैं वह काम करते हैं यहॉ बड़ा-बड़ा मशीन नहीं चलता यहॉ यह लोकल ग्राम पंचायत अछोली का है और आप जो बात रख रहे हैं यहॉ पर यहॉ हमारे जो मजदूर काम करते हैं वह आसपास के लोकल काम करने वाले हैं कोई बहुत बड़ी-बड़ी मशीन से या पर्यावरण की बात हुई है आप ऐसा यहॉ पर आकर के ऐसा गलत नहीं कर सकते। अधिकार है वो हमारे ग्राम पंचायत अछोली का।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि मुझसे कोई बहस नहीं करेगा सरकारी अधिकारी बात करेंगे।

एक व्यक्ति ने कहा कि सुनिए महोदय जी आपसे हमको कोई बहस भी नहीं करना है टीआई साहब मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ आप अपना पक्ष रखेंगे नहीं करेंगे हमारे ग्राम पंचायत है, हमारे ग्राम पंचायत में किस प्रकार से सुचारू रूप से व्यवस्था बनाना है और किस प्रकार से क्या करना है।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि पर्यावरणीय जनसुनवाई में धार्मिक उन्माद नहीं चलेगा और मेरा यह आरोप है कि आप बढ़ावा दे रहे हैं एडीएम साहब आप बड़े अधिकारी हैं साहब गलत है यह हम दबने वाले नहीं हैं, न झुकेंगे, भले कट जाएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में जाते हैं हम आप गलत जनसुनवाई करा रहे हैं और आपको बता रहा हूँ यह लोग दावा करते हैं गांव वाले का कि इनके कितने खदान है बुलाइए खनिज अधिकारी को जितनी अनुमति है उससे ज्यादा अवैध खदान है और तो और लोगों को काम नहीं मिलता, एक खदान में एक गांव का, बाकी बाहरी लोग हैं क्या बात करेंगे गांव के कितने लोगों को रोजगार मिला है पूछ लीजिए।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि एक मिनट रुक जाइए पहले सभी बैठ जाइए उसके बाद बोलेंगे आप।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि मेरा प्रश्न तो आप लोग कर ही नहीं रहे हैं तो मैं क्या आगे बोलूं वैसे तो बहुत है हमारे पास बोलने के लिए एक प्रतिबंधित दूरी होता है एक पत्थर खदान से दूसरे खदान तक, वह दूरी नहीं है यहॉ तो मैं समझता हूँ 100 खदानें हैं सर आपको वही बोल रहा हूँ इस खदान में यह ईआईए रिपोर्ट में दिया है कि जो प्रतिबंधित दूरी है उससे ज्यादा है मानक दूरी से नहीं है सब खदानें मिला हुआ है सब पूछ लीजिए गांव वालों से हॉ मैं बोल तो दिया, यह भी गलत है मतलब इस खदान से दूरी जितनी होनी चाहिए 500 मीटर नहीं है यहॉ सब खदानें एकदम जुड़े हुए हैं और इस गांव का पर्यावरण का पूरा नुकसान हो रहा है पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया है इस गांव का और अभी कंसलटेंट महोदय ने कहा कि 1200 पेड़ लगाएंगे कौन से खदान में वृक्षारोपण हुआ है एक तिहाई ग्रीन बेल्ट एक तिहाई होना चाहिए एक तिहाई जमीन पर नहीं है एक पेड़ भी नहीं लगाते हैं सर। मैं तो बढ़िया बोल रहा था, इन्होंने कोई पालन नहीं किया मेरा यह कहना है कि खनिज अधिकारी अभी बोल रहे थे न, कि यहॉ खनिज अधिकारी भी है कहॉ है बुलाइए उनको और जांच करावें, सब खदान बंद करो, ताला मारो। खदानों ने सारे गांव को बर्बाद कर दिया।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि आराम से बोलिए आपकी जो भी आपत्ति है आराम से बोलिए।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि मेरी यह आपत्ति है कि यह खनिज अधिकारी से पूछिए कि कितने खदान को मंजूरी मिला है आशय पत्र मिला है उससे 3 गुना ज्यादा खदान है स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है यहाँ वृक्षारोपण नहीं हुआ है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि जितनी भी आपत्ति है आप आराम से बोलिए आराम से बैठकर सुन रहे हैं।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि और आपको बता देते हैं यह जो खदानें जितनी खदान है 30 मीटर से अधिक गहरा, किसी को गहरा करने का खुदाई करने का अधिकार नहीं है, खनिज अधिकारी महोदय से पूछ लीजिए 100–100 मीटर नीचे तक गया है खदान जांच करिए आप लोग जाते हैं तो हम जाएंगे आपके साथ कोई पर्यावरण कानून का पालन नहीं हो रहा है पूरे इस क्षेत्र का इस गांव में जितनी खदानें हैं भारी नुकसान कर रहे हैं पर्यावरण का, इस गांव का, इको सिस्टम का, जैव विविधता नष्ट हो रहा है जो इनका आधार है खेती का वह इनके गांव का जो आजीविका का साधन है खाने कमाने का जो साधन है वह भी नष्ट हो गया। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता।

एक व्यक्ति ने कहा कि महोदय यहाँ इतने लोग बोलने वाले हैं एक जन को एक घंटा समय देंगे तो 2 दिन होगा आपका जनसुनवाई।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि हाँ होता है मैं उड़ीसा में गया हूँ तीन–तीन दिन चला है 10000 आदमी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने में धोती पहनकर आते हैं अंग्रेजी में भाषण देते हैं।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि जितनी भी आपत्ति है बता दीजिए।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि बता तो रहा हूँ नोट करिए सब लोग मैं रिकार्ड में इसकी नकल निकालूंगा नोट करिए और एक चीज है सर।

एक व्यक्ति ने कहा अभी जो आप अपना ऑब्जेक्शन आपत्ति लगाने के लिए आए हैं आप अपनी आपत्ति दर्ज कराईए और उसमें यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं न 100 मीटर 100 मीटर मतलब 325 फीट गहराई होता है चलिए हम आपको ले जाते हैं कौन सा खदान 100 मीटर हुआ है कौन सा खदान 30 मीटर हुआ है आप जाकर

के देखिएगा और उसके बाद फिर आप जांच करिएगा। दूसरी चीज आप जो है अपना पक्ष रखिए हमारे गांव वाले अपना पक्ष रखेंगे, आप अपना पक्ष रखकर के समाप्त कीजिए जो भी आपत्ति आपको दर्ज करना है आप आपत्ति दर्ज करिए आप अछोली ग्राम पंचायत को जानते नहीं है कि कितने दिन से आप रह रहे हैं कि यहॉ क्या–क्या समस्या है क्या समाधान हुआ है आप अपना व्यक्तिगत जो भी सुझाव है या आपकी जो भी शिकायत है वह आप दर्ज कराइए और उसमें आपको ऐसा नहीं है कि यहॉ का कोई भी माहौल आप खराब करेंगे ऐसा नहीं हो सकता देखिए मैं भी पूर्व उप सरपंच हूँ ग्राम पंचायत अछोली का प्रभारी सरपंच रहा हूँ ऐसा नहीं है।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि आप समर्थन क्यों कर रहे हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यह लोग बोलते पूरा में जो बोल रहा हूँ गांव में अध्ययन करने के बाद बोल रहा हूँ बताओ गांव वाले आप लोग।

मुख्य रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा संबोधित किया गया कि स्टडी रिपोर्ट हमको सबमिट करा दीजिए अगर हम उसमें कुछ फाइंडिंग पाते हैं तो बिल्कुल कार्यवाही करेंगे आपके पास स्टडी रिपोर्ट नहीं है निराधार बोलने का कोई अर्थ नहीं है। ऑथेंटिक एजेंसी के द्वारा अप्रूव्ड आपके पास है स्टडी रिपोर्ट कोई तो प्रस्तुत करें।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि मैं स्वयं अध्ययन किया हूँ व्यक्तिगत पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ और आपत्ति कर तो रहा हूँ।

मुख्य रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा संबोधित किया गया कि आप ऑथेंटिक रिपोर्ट सबमिट कराइए हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि यह कंसलटेंट महोदय का जो रिपोर्ट उन्होंने पढ़ा उसके झूठ को मैं बता रहा हूँ। यहॉ ब्लास्टिंग होता है बारूद से खदानों में उसका गंदा पानी नालों में जाता है यह पीछे नाला है और मैं आपको बता दूं खदान का गंदा पानी नाले में जाता है नाले से महानदी में जाता है। मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा आपके खिलाफ एडीएम साहब पर्यावरण अधिकारी आप लोगों के खिलाफ मैं हाई कोर्ट जाऊंगा।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि आपत्ति दर्ज करिए।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि कर तो रहा हूँ इनको रोकिये जब मैं बोल रहा हूँ यह लोग अपनी बारी आएगी तो बोलेंगे मेरी बारी का कोई समय नहीं है मैं जितना देर बोल सकता हूँ।

25

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि जो भी आपत्ति है, दर्ज कराइए।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि इस गांव के खदान के नीचे का जो गंदा पानी है वह नाले में जाता है नाले से महानदी में जाता है आपको मैं बता रहा हूँ तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आप लोग इस गैर कानूनी जनसुनवाई पर रोक लगाओ और इसको स्थगित करो आप मुझे वही बात बुलवा रहे हो जब आप किसी और दूसरे दिन जनसुनवाई करेंगे तो मैं पूरी रिपोर्ट बताऊंगा आज ही कहॉ कर रहे हैं आप लोग गलत कर रहे हैं अवैध है। आप बोलते हैं आप पक्षपात कर रहे हैं एडीएम साहब आप पक्षपात कर रहे हो। इन लोगों को रोक नहीं रहे हो पक्षपात कर रहे हो और सुनिए परियोजना रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि इस प्रस्तावित परियोजना स्थल के 200 मीटर की परिधि में कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे– रोड, पुल, डेम, नहर, भवन, बांध, एनीकेट, स्कूल नहीं है। स्कूल है, अस्पताल है, मंदिर है 200 मीटर के भीतर में। खदान की कैसे जनसुनवाई आप करा रहे हैं समझ में नहीं आता है, मरघट भी है नजदीक में यह प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं आना चाहिए 200 मीटर से बाहर होना चाहिए। बस्ती है भवन है लोग निवास कर रहे हैं यहॉ देखिए आप तो आए होंगे सैकड़ो खदान है दुकान खोल रखे हैं पत्थरों का और सब सटे हुए जैसे शहर में दुकान होते हैं और इसमें दूरी बताते हैं कि नहीं है 500 मीटर 200 मीटर होना चाहिए कहॉ है देखिए सर सरकारी अधिकारी का यह कर्तव्य है कि यदि गलत कर रहा है कोई उद्योगपति कोई व्यापारी तो उस पर रोक लगाइए, प्रतिबंध लगाइए। हम कानून का सहयोग करना चाहते हैं हम क्या ठेकेदारी कर रहे हैं हम तो कानून का सहयोग कर रहे हैं हम कानून की जो इसमें खामियां हैं कानून का उल्लंघन हो रहा है वह आपको बता रहे हैं उल्टा तो आपको हमारा स्वागत करना चाहिए जो नियम है मैंने बता दिया हमारा कहना है ईआईए अधिसूचना 2006 और जितने संशोधन हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि एक ही स्थल पर दो पाली में जनसुनवाई नहीं होता जनसुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है उपस्थित लोगों को और बता रहा हूँ सर जो टीओआर जारी हुआ टीओआर जारी होने के बाद इन्होंने ड्राफ्ट ईआईए जमा किया मुख्यालय पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर में उसके बाद 45 दिन के अंदर में मतलब आवेदक के अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 45 दिन में जनसुनवाई होना चाहिए यह कितने महीने बाद हो रहा है देखिए यह अवैध है अवैध है यह गलत कर रहे हो आप लोग जनसुनवाई कराने का आपको अधिकार नहीं है पर्यावरण मंत्रालय फिर जिसको नियुक्त करेगा वह जनसुनवाई करेगा।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि बाकी लोगों को भी मौका देना है आप बताइए अपनी आपत्ति।

28

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि खनिज अधिकारी महोदय इस गांव में जितने फर्शी पत्थर चूना पत्थर फ्लेग स्टोन का जो खदान है इसकी समुचित जांच करिए मैं यहीं से अपनी मांग करता हूँ, अनुरोध करता हूँ और जो लोग टैक्स नहीं पटा रहे हैं रॉयल्टी चोरी कर रहे हैं सभी को देखिये। नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कर रहे हैं तो सभी पर कार्यवाही करिए। पर्यावरण नियमों का पालन नहीं हो रहा है उस पर कार्यवाही करिए। सब इन चीजों को करिए आप और वैसे तो सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जब कोई परियोजना को मंजूरी दी जाती है तो जनसुनवाई कराने के लिए ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट बनता है उसमें परियोजना स्थल से 10 किलोमीटर के रेडियस में हवाई दूरी में पर्यावरण अध्ययन किया जाता है कितने गांव हैं, कितने नगर निगम आते हैं, नगर पालिका आते हैं, नगर पंचायत आते हैं, ग्राम पंचायत आते हैं, उनकी कोई जांच नहीं इस ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट को पंचायतों में भी दिया जाता है आप बोलेंगे कि हमने एक पंचायत को दे दिया है 10 किलोमीटर के दायरे में केवल ग्राम अछोली आता है दर्जनों गांव है कहीं रिपोर्ट नहीं गई। यह बताइए इस गांव में 1500 से ज्यादा जनसंख्या है 1000—1200 से ज्यादा मतदाता है और आए कितने लोग हैं कितने को मालूम चला, न ही इसकी मुनादी हुई, न प्रचार हुआ, इस गांव में ही 1500 से ज्यादा लोग निवास करते हैं 2000 है अभी बताइए तो और फिर आपने कितने पंचायतों को सूचना दिया केवल अछोली को बस 10 किलोमीटर के रेडियस में केवल यही गांव है और जितने गांव थे उनको क्यों नहीं सूचना दिए उनको क्यों ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत किया पंचायत को, सरपंच को, सचिव को क्यों जानकारी नहीं दिया, तो यह गलत है आप लोग हर चीज का जवाब देंगे अपनी बात रख दो और आप जनसुनवाई कराकर चले जाओगे हम इसको लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और पार्टी बनाएंगे एडीएम साहब को, पर्यावरण अधिकारी महोदय को, नायब तहसीलदार साहब को भी मैं जरूर बनाऊंगा।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि अपनी आपत्ति दर्ज कराइए।

श्री जयंत बहिदार ने कहा कि आप लोग अगर न्याय नहीं करेंगे तो जाएंगे। मैं जितनी आपत्ति दर्ज कराया हूँ इस आधार पर इस लोक सुनवाई को स्थगित किया जाए और इनके कंसल्टेंट की लाइसेंस और जो विशेषज्ञ जो इंजीनियर काम कर रहे हैं उनका लाइसेंस वैधता तिथि है जो वैलिडिटी है वह भी चेक करवाएंगे अभी आप बोले न अभी चेक करवाएंगे इसकी कॉपी देंगे हमें और फिर अगली लोक सुनवाई में आता हूँ धन्यवाद।

27

2. श्री राधेश्याम शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, रायगढ़, छत्तीसगढ़ ने कहा कि माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय, पर्यावरण अधिकारी और समस्त शासन–प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारी गण, पुलिस प्रशासन, उपस्थित यहाँ की जनता, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ। माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय आप आज इस जनसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे हैं आप पीठासीन अधिकारी हैं प्रिसाईडिंग ऑफिसर। प्रिसाईडिंग ऑफिसर को सिर्फ सुनना ही नहीं है उसको डिसाइड भी करना है मेरिट में डिसाइड करना है क्योंकि कानून जो कहता है संविधान सर्वोपरि। संविधान सम्मत जो कानून ईआईए की जो अधिसूचना जो बनी हुई है उस प्रावधान पर आपको करना है। यह जो 10 किलोमीटर का दायरा है जिसमें अध्ययन किया गया है जो कंसलटेंट कंपनी वहाँ के पानी, हवा, मिट्टी का अवलोकन किए हैं वह किस गांव का किए हैं यह प्रमाणित नहीं कर सकते क्योंकि पंचनामा किसी के पास नहीं है कोई गांव गए ही नहीं हैं, टेबल वर्क हुआ है इसलिए मुझे आपत्ति है। दूसरा यह ईआईए रिपोर्ट आपके पढ़ने के लिए कि मैडम के पढ़ने के लिए नहीं है, यह जनता के पढ़ने के लिए है यह लोकतंत्र है जनता सरकार है यहाँ की आप लोग सिर्फ सेवा शर्तों में है आप अपनी वैधानिक ड्यूटी को आपको पूरी करनी है, तो अगर इस 10 किलोमीटर रेडियस में डेढ़ दर्जन से अधिक गांव है और उन तक ईआईए रिपोर्ट नहीं पहुंची जो प्रावधान में है आप देख लीजिए पैरा 14 सितंबर 2006 के विपरीत मैं नहीं बोलूंगा या संशोधित प्रावधान के विपरीत नहीं बोलूंगा मैं एक कार्यकर्ता हूँ मुझे आप यह मत बोलिएगा कि आप इस प्रावधान को देखिए मैंने जो ईआईए में संशोधन कराया है, प्रावधानों का। भारत की अधिसूचना में उसको मैने सुधरवाया है, मैं 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ जैसे हमारे एक भाईसाहब ने कहा कि आप रायगढ़ में क्या किये मैं 20 साल से जेल जा रहा हूँ सेंट्रल में जो सरकार रहती है मैं उनका कड़ा विरोध करता हूँ उद्योगपतियों की जो हिमायत करते हैं मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है सर, आपसे भी मैडम, आप भी इसी देश के हैं पर्यावरण के नियमों का कानून का उल्लंघन करके आप इस जनसुनवाई को न करें अगर 10 किलोमीटर रेडियस में डेढ़ दर्जन से अधिक गांव है तो सभी को ईआईए का रिपोर्ट अध्ययन के लिए पहुंचना चाहिए था क्यों नहीं पहुंचा वहाँ मुनादी क्यों नहीं हुई यह प्रावधान में नहीं है बोल दीजिए नहीं है कोई संशोधन तो बता दीजिए।

मुख्य रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा संबोधित किया गया कि ईआईए रिपोर्ट सभी संबंधित शासकीय कार्यालयों में दी गई है न्यूज पेपर में दिया गया है।

श्री राधेश्याम शर्मा ने पुनः कहा कि शासकीय कार्यालयों में नहीं गांव–गांव में जो डेढ़ दर्जन गांव वाले हैं उनको शासकीय कार्यालय कैसे पता लगेगा न्यूज पेपर गांव का आदमी नहीं पढ़ता। नियम है क्या ऐसा जो अभी जैन भाई बोल दिए कि

संशोधन मुझे बता दीजिए कि प्रभावित क्षेत्र के गांव में नहीं है मैं अभी आपको बताता हूँ यह अधिसूचना 14 सितंबर 2006 आप अभी रद्द करेंगे सर अगर आप उस सूचना को छुपाए हैं आप भी छुपाने में सहयोगी हैं तो आपने इस क्षेत्र की जनता के साथ धोखाधड़ी किया है 420 किया है आप लोग अपराधी की श्रेणी में है अगर यह जनसुनवाई पूरी होती है तो आपके ऊपर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ

एक व्यक्ति ने कहा कि धमकी नहीं बात रखिए अपनी। धमकी क्यों दे रहे हो।

श्री राधेश्याम शर्मा ने कहा कि बात ही रख रहा हूँ धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि गैर कानूनी ढंग से यदि यह जनसुनवाई आप करवा रहे हैं मैं तो निवेदन कर रहा हूँ आपसे अपनी बात रख रहा हूँ और मुझे कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि आप कानून नहीं जानते पर्यावरण के कानून को पढ़ने की जरूरत नहीं है कितना संशोधन किसके आपत्ति पर किसके सुझाव पर हुआ यह आप न बताइए क्योंकि अगर आप इस कार्यवाही को संपादित कर रहे हैं निष्पादित कर रहे हैं तो आपको जनसुनवाई के प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय प्रिसाईडिंग ऑफीसर हैं, प्रिसाईडिंग ऑफीसर डिसाइड करता है वोटिंग होता है वहॉ पर कोई गलत होता है उस पर रोक लगती है पनिश्ड होता है, तो अगर यह जनसुनवाई ही आप गलत कर रहे हैं इस क्षेत्र की जनता को मालूम नहीं है जनप्रतिनिधि को मालूम नहीं है यहॉ इस 10 किलोमीटर में नगर पंचायत है तो फिर सरकार से आप बड़े कैसे हो जाएंगे गांव की सरकार ग्राम पंचायत है वहॉ के नागरिक है कोई कलेक्टर, कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं है सिर्फ सेवक हैं वे जो वेतन लेते हैं वे सेवा करते हैं और सेवा उन शर्तों पर करते हैं संविधान को पालन करने के लिए। मेरा आपसे निवेदन है आप अगर जानकारी छुपाए हैं भाषण नहीं मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप एक जिला दंडाधिकारी के पद में हैं प्रशासनिक पद में है सम्माननीय पद में है आप डिसाइड करिए कि अगर ऐसी गलत जनसुनवाई करेंगे आप फिर तो कंसलटेंट जो फर्जी रिपोर्ट ईआईए रिपोर्ट इसमें सैंपल जो टेस्टिंग किए हैं आपत्ति ही है मेरा यह जो सैंपल टेस्टिंग किए हैं किस गांव से लिया है उसका पंचनामा बता दें, इस 10 किलोमीटर के रेडियस में किन–किन गांव से इन्होंने सैंपल लिया है उसका पंचनामा भी इनके पास में होगा वह नहीं है क्योंकि आपने 10 गांव को ईआईए रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाया है वह बाकी गांव डेढ़ दर्जन गांव के लोग क्या आप समझ पाएंगे और क्या आज समाचार पत्र यह इस क्षेत्र के सुदूर अंचल समाचार पत्र पढ़कर के कैसे समझेगा मेरा कहना यह है कि यह पूर्ण रूप से अवैधानिक है एक पॉइंट और अगर दो अधिसूचना है दो सूचना प्रकाशन अगर है समाचार पत्र में तो दो दिवस में वह जनसुनवाई होनी है क्योंकि जनसुनवाई का जो

समय निर्धारित है वह 10 से 5 तक का है अगर उसके बाद भी आप आपत्तिकर्ता, सुझावकर्ता बच जाते हैं तो दूसरा दिन चलेगा, तीसरा दिन चलेगा, मैं देश के अन्य राज्यों में जाता हूँ पूरे प्रदेश में जाता हूँ तो आप यह नहीं बोल सकते कि मैं कानून नहीं जानता। आप कानून का अगर पालन नहीं कर रहे हैं आप कानून का पालन करिए और इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करिए और इस कंपनी को जिन्होने एक और 6 की इन्होंने जो फर्जी ईआईए रिपोर्ट तैयार किया है और इस कंसलटेंट कंपनी के खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध करवाइए तत्काल इनको गिरफ्तार करिए, आप कार्यवाही नहीं करेंगे मैं जानता हूँ।

3. श्री अर्जुन साहू, ग्राम अछोली ने कहा कि जो भी अभी बड़े भैया बोल रहे थे वह सही बात है हमारे गांव में को वृक्ष नहीं है गंदा पानी नाला में जा रहा है, गौ माता का यहॉ चारागाह नहीं है हर चीज में समस्या है इसलिए जो भी खदान खुल रहा है उसको ब्रेक किया जाए।

4. श्री चोवाराम साहू, ग्राम अछोली ने कहा कि आप सबके सामने में थोड़ी सी गांव की समस्या को अवगत कराना चाहता हूँ मैं। हमारे गांव में कम से कम 100 से 150 खदान फैक्ट्री है और इस खदान फैक्ट्री में अभी हमारे महोदय जी ने बात रखा जो की शत प्रतिशत सही बात को रखा बात यह रखा कि हमारा जो नाला है कोडार नाला वह पूरा मलबा से ढक चुका है जाकर देखिए आप लोग निरीक्षण करिए अधिकारी वर्ग से निवेदन है पूरा–पूरा मलबा खदान फैक्ट्री का लेकर पाटते जा रहे हैं आज हमारे जीविका का साधन पानी, जहॉ से कोडार निकला है वह पूरा ढंक रहा है हम किस में गुजारा करेंगे पूरा उस खदान का मलबा पूरा फैक्ट्री का गंदा पानी आज नदी में बह रहा है गौ माता तो क्या आदमी के लिए पीने का पानी भी दूषित हो रहा है। ऐसी जनसुनवाई तो हर साल होती है कहते हैं कि समस्या को लिख दो कॉपी में नोट कर दो डायरी में लिख दो और बैठ जाओ फिर दिन आएगा फिर इस बात को रखेंगे होता कुछ नहीं है। बोलिए मैं गलत कह रहा हूँ सबसे पहली बात तो मैं यह रखना चाहता हूँ कि यहॉ जितनी खदान फैक्ट्रियां हैं उसकी जो वैधता है खनन की वह सभी लाकर दिखाएंगे और जिसकी वैधता रहेगी वही खनन करेगा और जितना लिमिट में खनन करना है उतना ही खनन करना है और दूसरी समस्या हमारे गांव में पिकाडली बियर कंपनी शराब कंपनी खोला गया है जनसुनवाई का मतलब क्या होता है।

मुख्य रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा संबोधित किया गया कि आज के परियोजना के संबंध में अभी चर्चा करेंगे अन्य चर्चाओं के लिए दूसरे समय में बोलेंगे आप इसी परियोजना पर बोलिए।

श्री चोवाराम साहू ने कहा कि जो खदान फैक्ट्री से जो मलबा हमारे कोडार नाला में डाला जा रहा है और नाला पटते जा रहा है तो ऐसी स्थिति में की जो पानी दूषित होता जा रहा है। यहॉ आवागमन में हमें बहुत समस्या हो रही है इससे खदान फैक्ट्री वाले जो मलबा निकाल रहे हैं वह अपना कहीं भी रखें परंतु कोडार नाला के नाला में न डालें कहीं पर भी पटक रहे हैं गौ चारागाह समाप्त हो जा रहा है उसे अपने साथ ही अपने खदान फैक्ट्री में ही रोककर रखें यही गुंजाइश है और जितने दिन का वैधता है खदान खोलने का उस नियत तिथि तक ही चलाएं और जितना गहरा खोदना है उतना ही गहरा किया जाए अधिक गहरा न किया जाए बस यही निवेदन करना चाहूँगा आपसे।

5. श्री दीप कुमार अग्रवाल, ग्राम घोडारी ने कहा कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ मैं यह जो फर्शी पत्थर का जो प्रस्ताव रखा है मैं इसका समर्थन करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि यह केवल गांव अछोली ही नहीं यहॉ के आसपास के गांव में एक ही किस्म का काम है वह फर्शी पत्थर का काम है। इस फर्शी पत्थर के काम से हर किस्म के लोग मजदूर छोटे–मोटे जो गांव के बेरोजगार लोग हर किस्म के लोगों को मजदूरी मिलती है, उनका जीवन यापन चलता है और यह जो काम है बहुत छोटे स्तर का काम है बहुत धीरे–धीरे होता है सालों में एक फुट ले देकर गहरा होता है यह कोई बड़ी–बड़ी मशीनों से काम नहीं कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ न अपनी बातें जैसे उन्होंने अपनी बात रखा मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है अच्छा जिसने पहले बात रखा उनको कई चीजें मालूम नहीं है। पहली बात यहॉ पर कोई विस्फोट नहीं होता यहॉ पर जो पत्थर निकाला जाता है वह मशीनों से निकाला जाता है इसलिए मुझे लगता है उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात 300 मीटर कोई खदान जा ही नहीं सकता क्योंकि इस पत्थर को नीचे से निकालना पड़ता है तो मुझे लगता है कि यह जो सारी बातें कर रहे हैं यह कुछ न कुछ दूसरी बातें हैं यह कुछ और उद्देश्य से यह सब बातें कही गई है और मैं सोचता हूँ कि न तो यह बहुत छोटे एरिया आधा एकड़ एक एकड़ में यहॉ काम होता है तो इसमें कोई पर्यावरण नहीं है। अच्छा जहॉ तक रहा सवाल गंदा पानी का गंदा पानी तो उसी पानी को उसी पानी में रिसाइकल करके काम करते हैं गंदा पानी तो बाहर जाता ही नहीं है, यह सब बातें बेकार की है इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस प्रस्ताव को पास किया जाए और खदान को चालू किया जाए।

6. श्री ललित कुमार साहू, ग्राम अछोली ने कहा कि आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर में यहॉ पहुंचे आप सभी को बहुत–बहुत शुभकामनाएं और हमारे जितने भी यहॉ चाहे वह रायगढ़ से आए चाहे वे अन्य गांव से आए हैं हमारे गांव की समस्या को मूलभूत सुविधाओं को जो विस्तार पूर्वक बात रखे हैं वह बहुत ही सम्मान के योग्य है लेकिन मैं यह चाहूँगा कि आप यहॉ आकर के कितने बार हमारे गांव की समस्या को समाधान

31

करने का प्रयास करेंगे। यहाँ आस–पास से कम से कम 30 से 40 गांव के लोग मजदूरी करने आते हैं और यहाँ जो पहले जिस स्थिति में माईंस का जो नियम था जो ग्राम पंचायत को पूरा पॉवर था और ग्राम पंचायत के पॉवर में वह एक दिन में गांव की खदानें जो है वह लीज हो जाता था और पहले छोटे से खदान चाहे वह 50 डिसमिल रहे या 60 डिसमिल रहे 40 डिसमिल से ऊपर है तो उसमें खदान दिया जाता था यह कोई बहुत बड़ी भारी वाली काम नहीं है या इसमें हर प्रति व्यक्ति काम कर सकता है ऐसा भी नहीं है, यहाँ आप काम करके देखिए कि आपको रोजगार में कितने मजदूरों की समस्या झेलना पड़ता है कितना यहाँ पर जो कारीगर जो काम करते हैं फर्शी पत्थर में वही काम कर सकते हैं कोई भी आकर के यहाँ फर्शी पत्थर का काम नहीं कर सकते जो मजदूर यहाँ हमारे पूर्वजों के द्वारा जिस समय में मशीनी युग नहीं था उस समय में हमारे गांव में सभी जगह जो कच्ची मकानें बनी हुई है वह मकान जो है हमारे पूर्वजों ने अपनी मेहनत से यहाँ सब्बल से निकाल करके मकान बनाए हैं और उस चीज को जिस उद्योग के बारे में हमारे पूर्वजों को पता नहीं था उस आज मशीनी युग में आज कहीं न कहीं किसी के माध्यम से हमको जानकारी हुआ है हमारे गांव के रोजगार सृजन हुआ है और यहाँ रोजगार बहुत सारे लोगों को मिला है ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी–बड़ी मशीनें लगा करके उसको दोहन कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है और नियम की बात अगर कहीं बोले जा रहे हैं तो यह मैं आज आप लोगों के माध्यम से इसमें जो नियम लागू किया गया है उसको संशोधन किया जाए और पूर्व में जो नियम था जो ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव दिया जाता था और माइनिंग अधिकारी के द्वारा उसको लीज किया जाता था वही नियम पुराना इसको लागू करना चाहिए क्योंकि हर किसान का जमीन इतना नहीं है कि आप दो एकड़ या चार एकड़ रखकर के उसमें अपना उद्योग करेंगे यहाँ किसी का 50 डिसमिल है किसी का एक एकड़ है और एक एकड़ 50 डिसमिल वाले आज इस उद्योग में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो इसमें कहीं न कहीं नियम शिथिल भी किया जाना चाहिए और ग्राम पंचायत के आसपास हमारे आसपास में चाहे भोरिंग चाहे अछोली हो चाहे अछोला हो गढ़सिवनी हो जोबा हो पीढ़ी हो, यहाँ चार जिला बलौदाबाजार जिला से भी काम करने आते हैं, गरियाबंद जिले से भी यहाँ काम करने यहाँ आते हैं, हमारे महासमुंद जिला काम करते ही हैं रायपुर जिला के मजदूर जो है आसपास जो रहते हैं वह काम करते हैं यहाँ कोई हमारा बहुत बड़ा जैसे कोल ब्लॉक है कोयला है ऐसा यह फर्शी पत्थर का काम नहीं है यह बहुत निम्न स्तर का काम है और बहुत छोटा काम है जिसको गवर्नमेंट ने आज जो नियम लागू किए हैं वह खदान वालों की मुश्किलें बढ़ा दिए हैं इसमें शिथिल होना चाहिए ताकि जो लोकल के आदमी जो लोन लेकर काम कर रहे हैं किसी का 50 लाख कर्ज है किसी का एक करोड़ कर्ज है वह ऐसे व्यक्ति जो कर्ज लेकर के काम कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति यहाँ पर के काम कर रहे हैं कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं है तो मैं समर्थन करता हूँ और ग्राम पंचायत

अछोली को कोई भी प्रकार से आपत्ति नहीं है मैं पूर्व में उपसरपंच भी रहा हूँ प्रभारी सरपंच भी रहा हूँ, तो इस नाते मैं पूरे फर्शी पत्थर का समर्थन करता हूँ और आपके माध्यम से मैं हमारे गांव वालों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ जैसे कल के डेट में काम बंद होने के बाद जो समस्या आती है सुन लें भैया चिल्लाने से नहीं होता है आज आप लोग चिल्ला रहे हैं यहां सुनवाई है कल के डेट में कौन बोलता है गांव की कोई भी समस्या होगी तो हमें समाधान करना पड़ता है कोई भी समस्या है कोई भी समस्या रहे अर्जुन भैया व्यक्तिगत विरोध नहीं होना चाहिए व्यक्तिगत विरोध नहीं गांव का विकास होता है अगर आसपास के गांव जिस गांव में रोजगार नहीं है उस गांव को आज जाकर देखिए कि उस गांव का आदमी कितना दूर काम करने जाता है आज कितनी परेशानियों से घिरे हुए हैं आज हर आदमी अपने जगह में अपनी स्थिति में आज जैसे भी हो अच्छा है जिस गांव में रोजगार रहता है उस गांव का विकास अलग रहता है और जो गांव में रोजगार नहीं है उस गांव का विकास नहीं है आसपास आज अछोली के आदमी दूसरे गांव में काम करने नहीं जा रहे हैं अछोली में 50 गांव से काम करने आ रहे हैं एक समय था कि अछोली का आदमी 50 गांव से काम करने जाते थे आज वह दिन बदल चुका है आज अछोली में 50 गांव के आदमी काम करने आते हैं मैं आपसे सुझाव दे दिया हूँ और आपसे सुझाव में जो इसमें बहुत सारा नियम जो लागू किया गया है उसको शिथिल करने का भी मांग करता हूँ, आज की जनसुनवाई के आधार पर मैं समर्थन करता हूँ। कोई आपत्ति नहीं है।

मुख्य रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा संबोधित किया गया कि सभी व्यक्तिगत रूप से बोलिये, सामूहिक रूप से किसी का प्रश्न समझ में नहीं आयेगा।

7. श्री श्रवण कुमार निषाद, ग्राम अछोली ने कहा कि इसका मतलब है यह कि हमारे गांव में व्यवसाय मिल रहा है बोलने का हमें कोई यह नहीं है बाकी नहर, नाला सभी में जाकर फेंक रहे हैं कचरा को और रोड को देखें तो कई टन की गाड़ी चल रही है।

8. श्री नरेश कुमार निषाद, ग्राम अछोली ने कहा कि अभी भी कोई खदान वाले बता दें सर कि 10 पेड़ लगाए हैं करके अभी भी आप नोट कर लें आप 10 वृक्षारोपण किए हैं कोई हाथ उठा दीजिए खदान वाले और कोई भी अपने हद तक रहिए आप कोई भी अपना अधिकारी भेजिए नाला को तत्काल कल जांच करवाते हैं नदी के जाते तक नदी के जाते तक जांच करवाते हैं आप भेजिए अपने अधिकारी को।

9. श्री खिलेश चंद्राकर, ग्राम अछोली ने कहा कि ग्राम अछोली वाले कह रहे थे कि वृक्षारोपण नहीं किए है, मैने 2000 पेड़ लगाया है और ग्राम की महिलाओं से ही लगाया है पूछ सकते हैं आप यहाँ पर पूरा 2000 पेड़ वृक्षारोपण किया गया है लेकिन

83

पशु मवेशी लोग पूरा इसको खा गए 2000 लगाया है मैंने। ग्राम की जनता महिला समूह से पूछ लीजिए आप।

10. श्री परसराम साहू, ग्राम अछोली ने कहा कि मेरे 10 डिसमिल निजी जमीन में ओमकार सूर्यवंशी ने पूरा मलबा फेंक दिया है 10 बार हो गया उसको साफ कर दो कहते हुए, तो आज करूँगा कल करूँगा कहते हैं, मुंशी को बोलकर थक चुका हूं। आज तक अपना गेट नहीं लगाया है साफ करूँगा क्या साफ करूँगा ऐसा बोलते हैं ओमकार सूर्यवंशी आज तक मेरे 10 डिसमिल जमीन में अभी पूरा तिल भर का जगह नहीं बचा है। बार–बार सूचना दे रहा हूँ आज तक कुछ नहीं किए हैं

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि साहू जी इस खदान के बारे में बताइए दूसरे खदान के बारे में आपत्ति न बताइए।

श्री परसराम साहू ने कहा कि मेरे 10 डिसमिल निजी जमीन में ओमकार सूर्यवंशी ने पूरा मलबा फेंक कर रख दिया है खदान का मलबा मेरी जमीन में फेंका है खुलना नहीं चाहिए खदान। 10 डिसमिल जमीन में पूरा मलबा डाल दिए हैं हमको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है हमारे जमीन में न किसी में 10 डिसमिल जमीन में डाल दिए हैं।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि और कोई अपने विचार, सुझाव रखना चाहते हैं।

11. श्री दयाराम साहू, पंच, वार्ड क्रमांक 01 अछोली ने कहा कि हमारे ग्राम अछोली में पशु का चारागाह नहीं है पूरा मलबा से भरा हुआ है ग्राम अछोली के बच्चे जब भोरिंग पढ़ने जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। आते जाते आप देखे होंगे रोड कैसा है और यहाँ चारागाह के लिए जरा सी भी जगह नहीं है पूरा मलबा से भरा है आप निरीक्षण करिए और इस बात को ध्यान दें खदान खुला है इसीलिए तो बर्बाद है खदान नहीं होता तो आज अच्छा होता खदान है इसीलिए बर्बाद है गांव। हम गुजरते हैं हम लोग जानते हैं कि गांव कैसा है आप लोग तो आज आए हैं क्या जानेंगे हमारे साथ चलकर देखिए गांव कैसा है पूरा नाला से लेकर भोरिंग तक अछोला रोड से लेकर बेलटुकरी तक जहाँ तक आप जाओगे हम दिखा देंगे कि हमारा गांव कैसा है आप देखिए हमारी बातों में ध्यान दीजिए और थोड़ा उसको सुधारने का प्रयास कीजिए।

12. श्री विष्णु कोसले, ग्राम अछोली ने कहा कि ग्राम पंचायत की कुछ जरूरी मांगे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ प्रधानमंत्री सड़क योजना रोड को बदलकर भारी मार्ग बनाने की आवश्यकता है ग्राम में। हमारे ग्राम में 42 फर्शी खदान संचालित है 25 यूनिट फर्शी पॉलिश का फैक्ट्री है और साथ में डी.बी. बिल्डर्स है उसके बावजूद एग्रो

34

लिमिटेड कंपनी यहॉ लग रही है और इससे भारी वाहन की क्षमता 60 से 70 टन की होती है हमारे गांव के रोड की हालात पूरी तरह खराब हो चुकी है साइकिल चलाने के लायक नहीं है हमें भारी वाहन चलाने का रोड प्रदान करने की महान अनुमति करें खदान के संबंध में हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है यहॉ के खदान में 60 प्रतिशत लोगों को व्यवसाय मिल रहा है 8 साल से लोगों को 10 से 12 गांव के लोगों को मिल रहा है व्यवसाय।

13. श्री लोकेश्वर साहू, ग्राम अछोली ने कहा कि हमारे सरपंच महोदय जी अभी बोले कि सड़क खराब है और उसे बनाने की मांग किए हैं यह जो सड़क खराब हुआ है सिर्फ खदान के कारण ही खराब हुआ है कितने साल हो गए तीन–चार साल हो गए वह प्रस्तावित हो चुका है लेकिन खदान के कारण ही जो टेंडर वाले हैं वह ले नहीं रहे हैं इसी कारण से रोड पूरा खराब है और उधर कोडार नाला पूरा खराब हो रहा है पूरा पटवा दिया गया है उसकी तस्वीर है मेरे पास। मैं आपको दिखा सकता हूँ यह खदान से ही रिलेटेड है इन खदानों से ही सड़क खराब हो रहा है वह पहले अच्छा था और इस कारण खदान के कारण लोड गाड़ी चलता है ऐसा करके टेंडर वाले रोड को नहीं बनवा रहे हैं अभी तक हम लोग जा रहे हैं तो कभी भी गिर रहे हैं बच्चे लोगों को परेशानी हो रही है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि और कोई विचार रखना चाहेंगे।

14. श्री नोहर साहू, ग्राम अछोली ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है महोदय जितने हमारे गांव के आदमी बोले उनकी समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा। होगा तब बोलेंगे अगर नहीं होगा तो जुबान खर्च नहीं बोलेंगे आज तक हो गए खदान जितने भी चलते हैं बड़ी–बड़ी गाड़ी चलती है उसके जितने भी धूल धक्कड़ में कोई टैंकर से पानी नहीं डालते। सबसे बड़ी समस्या सामने स्कूल है गाड़ी आती जाती है। यहॉ कोई भी चीज के लिए चेकिंग के लिए नहीं आते है। खदान के नाम से नाबालिक बच्चे भी ट्रैक्टर गाड़ी चलाते हैं। दो पैसे कमाने के चक्कर में। उम्र हो तब काम करें इसके लिए भी चेकिंग के लिए भेजा जाए। जब माईनिंग से खदान की चेकिंग के लिए आते हैं, उसी प्रकार कुछ भी तकलीफ हो अछोली में, उसके चेकिंग के लिए भी आना चाहिए। चाहे गांव से कमाने के लिए आए हो, चाहे बाहर से हो, उसका भी उम्र चेक करके काम में रखा जाए और साथ ही साथ जो बार–बार बोला जा रहा है नदी नाला हर जगह तकलीफ है उसका अगर निराकरण नहीं होगा तो अब के बाद हम नहीं बोल पाएंगे। हमारे ग्राम अछोली का बहुत समस्या है इसका कोई निराकरण सामने देखिए मेरा एक शब्द अगर गलत हो जाएगा तो इस कैमरा में पकड़ा जाऊंगा अगर स्कूल के सामने से कई गाड़ी गुजर रही है इसके लिए पानी की व्यवस्था नहीं

कर रहे हैं, इसे कोई नहीं पकड़ रहे हैं समस्या तो होगा न भई इसलिए कुछ चीज का चेकिंग भी करो। इसीमें तो अच्छा होगा, यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

15. डॉ. धनेश्वरी, सरपंच, ग्राम पंचायत अछोली ने कहा कि मैं अपनी बात यह रखना चाहती हूँ कि सभी का कहना है कि खदान की वजह से रोड खराब है तो हम चाहते हैं कि उसके लिए अच्छी क्वालिटी की रोड बनवाई जाए। पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है जो करवाई जाए और खदान से बहुत सारे गांव के आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है तो इसलिए हम यह चाहते हैं कि खदान चले, लेकिन पत्थरों को कहीं भी न फेंका जाए, व्यवस्थित रखा जाए और सभी चीजों को संभाल कर अपने काम को अच्छे से किया जाए। मेरा यह कहना है कि पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए काम भी होना जरूरी है लेकिन साथ में पर्यावरण का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है तो साथ में वृक्षारोपण भी करें और रोजगार भी लोगों को मिलता रहे ऐसा मेरा कहना है और मैं चाहती हूँ कि पर्यावरण को शुद्ध रखने की कोशिश करें और पत्थरों को इधर–उधर न फेंकें अपने खदान के अंतर्गत ही अपने काम को संचालन करें यही कहना चाहती हूँ मैं।

मुख्य रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा संबोधित किया गया कि सभी व्यक्तिगत रूप से बोलिये, सामूहिक रूप से न बोलिए कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा एक–एक करके माईक में आकर ही अपना पक्ष रखें।

16. श्री रवि साहू ने कहा कि हमारे गांव में रोजगार मिलना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है खदान से।

17. श्री प्रीतम कुमार साहू, पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष ने कहा कि मैं सरपंच महोदय द्वारा बोले उनकी बातों से मैं सहमत हूँ कि आसपास के गांव को रोजगार मिल रहा है हम लोग बाहर काम में जाते थे एक जमाना था आज हमारी जमीन का रेट भी बढ़ चुका है हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया । परियोजना प्रस्ताव जानकारी रखें।

श्री अर्चित सोनी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी प्रस्तुत करते हुए संबोधित किया गया कि मेरे द्वारा आवेदन खनिज फर्शी पत्थर गौण खदान के पर्यावरणीय की स्वीकृति के लिए आयोजित लोक सुनवाई में ग्राम वासियों के द्वारा सुझाए गए विकल्पों के संबंध में मेरी ओर से जानकारी जवाब देने के लिए नेबैट

प्रमाणित अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एंड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के सदस्य को आमंत्रित करता हूँ।

परियोजना प्रस्तावकों की ओर से श्री बुद्धदेव पाण्डेय, पर्यावरणीय सलाहकार, अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एंड लेबोरेटरी, ठाणे के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने के अनुक्रम में संबोधित किया गया कि उपस्थित समस्त ग्रामवासियों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तावित फर्शी पत्थर खदान का संचालन, अनुमोदित उत्खनन योजना, खनिज शाखा तथा पर्यावरण विभाग द्वारा निर्देशित नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जायेगा। ग्रामीण स्थानीय महिलाओं को भी योग्यतानुसार रोजगार प्रदान किया जावेगा। अछोली खनिज फर्शी पत्थर खदान परियोजना में कुल 16 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अप्रत्यक्ष रोजगार खदान संचालन और उत्पादन तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। संभावित अप्रत्यक्ष रोजगार संख्या लगभग 40 होगी। स्थानीय निजी वाहन स्वामियों को खदान में रोजगार दिया जावेगा। सड़कों का उचित रखरखाव तथा वाहनों का संचालन तारपोलिन द्वारा ढंककर किया जावेगा। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करके प्रदूषण को कम किया जावेगा तथा अन्य धूल उड़ने वाले बिंदुओं पर जल का छिड़काव करके धूल उत्सर्जन को नियंत्रित किया जावेगा तथा समय समय पर सड़क का रखरखाव किया जावेगा। खदानों में फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के समस्त बिन्दुओं/स्थानों पर मेरे द्वारा नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। ध्वनि स्तर को कम करने के लिए अन्य मशीनों का सही रख–रखाव किया जायेगा। हमारे द्वारा मिट्टी या ओवरबर्डन या अन्य टुकड़ा पत्थर को खदान क्षेत्र के बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थल के इर्द गिर्द या शासकीय स्थल में डम्प नही किया जायेगा। उक्त को खदान क्षेत्र में ही डंप किया जावेगा तथा महोदय इस क्षेत्र में लग रहे क्रेशर के, क्रेशर संचालकों को विक्रय करके डिस्पोस किया जावेगा एवं शासन को इसकी रॉयल्टी का भुगतान किया जावेगा। सरपंच महोदया के सुझाव के अनुसार ही खदान का संचालन किया जावेगा। खदान का संचालन पूर्णतः कानूनी तौर पर एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। हम यह आश्वासन देते है कि यदि खनन संक्रियाओं से किसी को किसी प्रकार कि हानि होने पर हमारे द्वारा उचित मुआवजे का भुगतान किया जायेगा। यह नवीन प्रस्तावित खदान है अतः आवेदित खदान पर पूर्व में वृक्षारोपण लागू नहीं था। खदान की सीमा क्षेत्र में 0.65 हेक्टेयर क्षेत्र में 1290 पौधे, स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण तथा सुरक्षा के लिए कांटेदार बाड़ के साथ, नियत अंतराल पर वृक्षारोपण किया जावेगा। संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत भी वृक्षारोपण किया

37

जावेगा। ग्रामवासियों के द्वारा अन्य सुविधाओं की मांग जैसे– नई रोड/रोड में सुधार आदि कार्य एवं ग्राम पंचायत में विकास के अन्य कार्यों के बारे में यह कहना चाहेंगे कि खदान के संचालन के दौरान पट्टेदार द्वारा रायल्टी के साथ–साथ जिला खनिज निधि (DMF) के रूप में निर्धारित राशि प्रतिमाह शासन को जमा की जावेगी, जिसका उपयोग शासन द्वारा इन मदों में किया जाता है। माननीय अपर कलेक्टर, जिला महासमुंद, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से हमारा अनुरोध है ग्रामवासियों के द्वारा की गयी मांगों को यथोचित संज्ञान में लेते हुए, निर्णय करते हुए ग्रामीणों के मांग का निराकरण करने की कृपा करें। निजी भूमि पर फर्शीपत्थर उत्खनन लीज के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। छ.ग.गौण खनिज नियम 2015 के अनुसार समस्त सार्वजनिक स्थलों से नियमानुसार दूरी रखते हुए फर्शी पत्थर उत्खनन हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला महासमुंद (छ.ग.), द्वारा संबंधित विभागों जैसे– ग्राम पंचायत, राजस्व विभाग, खनिज विभाग, वन विभाग इत्यादि से कानून सम्मत नियमानुसार प्रक्रिया के तहत जॉच प्रतिवेदन मॅगाया गया है। विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन को जॉच लेने के पश्चात् कार्यालय कलेक्टर जिला–महासमुंद (छ.ग.), द्वारा 30 वर्ष के उत्खनिपट्टा की अवधि के लिए आशय पत्र जारी किया गया है। हमारे प्रकरण में लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाए गये हैं उसके संबंध में हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब एवं जानकारियों के अनुसार निराकरण किया जाएगा। इस संबंध में शपथ पत्र भी राज्य स्तर पर्यावरण समाघात प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जावेगा। कंसल्टेंट की वैद्यता अवधि दिनांक 18.10.2027 तक के लिए रिनिवल प्राप्त है। प्रति क्षेत्रिय कार्यालय में जमा है। तथा लेबोरेटरी की वैद्यता अवधि 17/11/2028 तक है अन्य आवश्यक सभी प्रपत्रों की कॉपी मंडल कार्यालय में जमा करा दी गयी है। 45 दिन में जनसुनवाई से आवेदक को आपत्ति नहीं है। टीओर का पालन में ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट जमा कर दिया गया है। आवेदित खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है, तथा ब्लास्टिंग पदार्थ से कोई विषैला पदार्थ उत्पन्न नहीं होगा। खनिज विभाग द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, आवेदित क्षेत्र के 200 मीटर में तालाब के अलावा कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है। तालाब भी छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में निर्धारित प्रतिबंधित दूरी पर है। पत्र क्रमांक 901, दिनांक 11/09/2023, ईआईए रिपोर्ट में संलग्न है। वर्षा ऋतु में खदान में एकत्रित जल का उपयोग वृक्षारोपण और धूल दमन के लिए किया जायेगा, खदान से बाहर प्रवाहित नहीं किया जावेगा। खदान में संचित पानी का उपयोग, मशीन से पत्थर कटिंग के दौरान भी किया जावेगा। परियोजना के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी एवं खदान जारी करने के संबंध में सम्पूर्ण प्रक्रिश्स की जानकारी हमारे द्वारा लोक सुनवाई के आरंभ में बता दी गई है। इसके साथ ही आगे की कार्यवाही के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ।

38

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि फर्शी पत्थर खनन परियोजना के संबंध में जो लोक सुनवाई है उसकी समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। लोक सुनवाई का कार्यक्रम अपरान्ह 2:00 बजे समाप्त हुआ। लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या निरंक है। सम्पूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई।

श्रीमती नीलिमा सोनकर,
मुख्य रसायनज्ञ,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
जिला–रायपुर

डॉ. रवि राज ठाकुर,
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला–महासमुंद